न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 47/2015 Gems No. 2015/00189
दायरा तिथि : 14.07.2015
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 14.06.2017 फाईनल डिक्री दिनांक 10-08-2022

वादी :–
भोपालसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत
निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बख्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत
   निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति:–

1. श्री गणपतलाल चौधरी .... अभिभाषक वादी की ओर से से
2. श्री संतोष कुमार शर्मा .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार........ पैरोकार सरकार की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 10-08-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बेडल पटवार हल्का बेडल तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 391, 392 कुल रकबा 1.82 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल वार्षिक लगान 9.10 रूपये एवं खसरा नंबर 570 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 571/2 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म चाही दोयम लगान 1.60 रूपये के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमियो में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–01 का 1/2 हिस्सा संयुक्त तौर से होना वर्णित करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071की प्रति व नक्शा प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार शर्मा द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। प्रकरण के लंबित रहते राज्य सरकार के निर्देशो अनुसार लोक अदालते लगने से राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 केम्प बेडल में दिनांक 14.06. 2017 को पेश हुई। राजस्व लोक अदालत केम्प बेडल में दिनांक 14.06.2017 को दोनो पक्षो की सहमति के आधार ग्राम बेडल स्थित भूमि खसरा नंबर 391, 392 कुल रकबा 1.82 हैक्टर एवं खसरा नंबर 570, 571/2 रकबा 0.13 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में दर्ज बहिस्सा बराबर अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या–01के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तथा तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में दिनांक 20.12.2017 को तहसीलदार, बाली द्वारा विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। जिस विभाजन प्रस्ताव पर दोनो पक्षो के वकुलाय को सुनने के पश्चात् खसरा नंबर 391 व 392 के विभाजन प्रस्ताव पुनः तहसीलदार, बाली से चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली ने दिनांक 10.05.2018 को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर रिपोर्ट पर दोनो पक्षो के वकुलाय को सुनने के बाद खसरा नंबर 570 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 571/2 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म चाही दोयम के विभाजन के प्रस्ताव भी तहसीलदार, बाली से पुनः तलब किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2022/452 दिनांक 15.06.2022 से पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये वादी व प्रतिवादी संख्या–01 के हिस्से में निम्नानुसार भूमि रखते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
बख्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391 392 570 571/2	0.53 0.35 0.04 0.02	बारानी दोयम बारानी दोयम गै.मु. बेरा चाही दोयम	2.65 1.75 – 0.02	पीला रंग
	04	0.94	–	4.42	
भोपालसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391/1 392/1 570/1 571/4	0.53 0.35 0.04 0.02	बारानी दोयम बारानी दोयम गै.मु. बेरा चाही दोयम	2.65 1.75 – 0.02	गुलाबी रंग
	04	0.94	–	4.42	

पेज लगातार...........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 47/2015 Gems No. 2015/00169
अगवान भोपालसिंह बनाम बख्तावरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
बख्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह हिस्सा 1/2 भोपालसिंह पुत्र ओटसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपुत सा. देह खातेदार जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391/2 571/5	0.06 (रास्ता) 0.01बेरा	बारानी दोयम चाही दोयम	0.30 0.01	हरा रंग
	02	0.07	–	0.31	

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय को बहस के लिये पर्याप्त समय/अवसर देने के बावजुद दोनो पक्षो के अधिवक्ता फाईनल डिक्री के लिये सहमत नहीं होने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दोनो पक्षो के हिस्से बंट की भूमियो में आने जाने के लिये रास्ते इत्यादि की सुविधाओ को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तथा साथ ही दोनो पक्षो के विभाजन में भूमि बहिस्सा बराबर बराबर यानि 0.94 हैक्टर भूमि रखी गई है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/452 दिनांक 15.06.2022 से पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडल पटवार हल्का बेडल तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 391, 392 कुल रकबा 1.82 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल वार्षिक लगान 9.10 रूपये एवं खसरा नंबर 570 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 571/2 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म चाही दोयम लगान 1.60 रूपये के संबध में धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
बख्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391 392 570 571/2	0.53 0.35 0.04 0.02	बारानी दोयम बारानी दोयम गै.मु. बेरा चाही दोयम	2.65 1.75 – 0.02	पीला रंग
	04	0.94	–	4.42	
भोपालसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391/1 392/1 570/1 571/4	0.53 0.35 0.04 0.02	बारानी दोयम बारानी दोयम गै.मु. बेरा चाही दोयम	2.65 1.75 – 0.02	गुलाबी रंग
	04	0.94	–	4.42	
बख्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह हिस्सा 1/2 भोपालसिंह पुत्र ओटसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपुत सा. देह खातेदार जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391/2 571/5	0.06 (रास्ता) 0.01बेरा	बारानी दोयम चाही दोयम	0.30 0.01	हरा रंग
	02	0.07	–	0.31	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 9.10 + 1.60=10.70 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो0 ज्यू0 स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
(सुश्री कायगुडे स्नेहल नाना)
बाली, जिला-पाली (राज)
भा.प्र.से.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 10-08-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
लास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

:–
लसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत
सी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

वादीगण :–

1. वक्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत
   निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 47/2015 Gcms No. 2015/00189
वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी नजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– करण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दोनो पक्षो के हिस्से बंट की भूमियो में आने जाने के लेये रास्ते इत्यादि की सुविधाओ को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तथा साथ ही दोनो पक्षो के वेभाजन में भूमि बहिस्सा बराबर बराबर यानि 0.94 हैक्टर भूमि रखी गई है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/452 दिनांक 15.06.2022 से पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडल पटवार हल्का बेडल तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 391, 392 कुल रकबा 1.82 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल वार्षिक लगान 9.10 रूपये एवं खसरा नंबर 570 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गै. मु. बेरा व खसरा नंबर 571/2 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म चाही दोयम लगान 1.60 रूपये के संबध में धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म	लगान (रूपयो मे)	विशेष विवरण
बख्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391 392 570 571/2	0.53 0.35 0.04 0.02	बारानी दोयम बारानी दोयम गै.मु. बेरा चाही दोयम	2.65 1.75 – 0.02	पीला रंग
	04	0.94	–	4.42	
भोपालसिंह पुत्र ओटसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391/1 392/1 570/1 571/4	0.53 0.35 0.04 0.02	बारानी दोयम बारानी दोयम गै.मु. बेरा चाही दोयम	2.65 1.75 – 0.02	गुलाबी रंग
	04	0.94	–	4.42	
बख्तावरसिंह पुत्र ओटसिंह हिस्सा 1/2 भोपालसिंह पुत्र ओटसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपुत सा. देह खातेदार जाति राजपुत सा. देह खातेदार	391/2 571/5	0.06 (रास्ता) 0.01बेरा	बारानी दोयम चाही दोयम	0.30 0.01	हरा रंग
	02	0.07	–	0.31	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 9.10 + 1.60=10.70 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो0 ज्यू0 स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-08-22 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner